न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 254/ 2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1 भगवानाराम पुत्र श्री कोलाराम 2 गोपूराम पुत्र श्री कोलाराम निवासी– ग्राम शिवसागर सामडाउ तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार ओसियां प्रफार्मा पक्षकार 2. चैनाराम पुत्र श्री फुलाराम 3. गोपूराम पुत्र श्री फुलाराम 4. सांवताराम पुत्र फुलाराम 5. भमलराम पुत्र श्री फुलाराम 6. भीयाराम पुत्र श्री लालाराम 7. पूनाराम पुत्र श्री लालाराम 8. मुल्ताना पुत्र पोकरराम 9. माणक पुत्र श्री पोकरराम 10. पांचा पुत्र श्री पोकरराम 11. भंवरू पुत्र श्री पोकरराम 12. खेराज पुत्र श्री पोकरराम 13. नेताराम पुत्र दुडाराम 14. मालाराम पुत्र दुडाराम 15. बाबूराम पुत्र श्री दुडाराम 16. रामनिवास पुत्र श्री दुडाराम 17. श्यामसुन्दर पुत्र श्री दुडाराम 18. बीरबल पुत्र श्री बगडूराम 19. सहीराम पुत्र श्री माणकराम 20. प्रतापा पुत्र श्री मंगलाराम 21. हीराराम पुत्र श्री लालूराम 22. खमूराम पुत्र श्री लालूराम 23. धीमाराम पुत्र श्री लालूराम 24. नरूराम पुत्र श्री लालूराम 25. मूमल पत्नी श्री लालूराम 26. पांचाराम पुत्र श्री लालूराम 27. उदाराम पुत्र श्री लालूराम 28. मानाराम पुत्र श्री लालूराम 29. बगडूराम पुत्र श्री लालूराम 30. खेराज पुत्र श्री भागचंद 31. खिंयाराम पुत्र श्री थानाराम 32. बीरमाराम पुत्र जोधाराम 33. किशना पुत्र जोधाराम 34. कालूराम पुत्र जगीया उर्फ जगमालराम 35. सांवलराम पुत्र जगीया उर्फ जगमालराम 36. बाबूराम पुत्र जगीया उर्फ जगमालराम 37. बंशीलाल पुत्र जगीया उर्फ जगमालराम 38. छुगी बेवा जगमालराम 39. सुभाष पुत्र जगीया उर्फ जगमालराम 40. सुगनी बेवा जगमालराम 41. खेराजराम पुत्र मेनाराम 42. मांगीलाल पुत्र गोमन्दराम 43. ओमप्रकाश पुत्र गोमन्दराम 44. सोहनराम पुत्र गोमन्दराम 45. पपूराम पुत्र गोमन्दराम 46. लुंगादेवी पत्नी गोमन्दराम

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

	48. गिरधारीराम पुत्र श्री धोकलाराम 49. धीमाराम पुत्र श्री धोकलाराम 50. गोरधनराम पुत्र श्री लुम्बाराम 51. गोमदराम पुत्र श्री लुम्बाराम 52. मगाराम पुत्र श्री लुम्बाराम सह खातेदारान्

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ द्वारा आदेश कमांक सम/ कोर्ट/2017/101–102 दिनांक 25.06.2018 को पारित किया गया

उपस्थितिः–

1– श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 05–08–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार ओसियॉ ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा शिवनगर के प्रस्ताव संख्या 1–ईश्वर नगर स्कूल से ईश्रवालों की ढाणियॉ व खोतों की ढाणिया तक रास्ता दर्ज करने के प्रस्ताव अधिनस्थ न्यायायल को प्रेषित किये गये। जिस पर खसरान नम्बर 573 रकबा 45,08 बीघा, ख0सं0 557 रकबा 90.04 बीघा, ख0सं0 552/1 रकबा 31 बीघा, ख0सं0 572 रकबा 36.16 बीघा, ख0सं0 570 रकबा 40.01 बीघा, ख0सं0 569 रकबा 73.01 बीघा, ख0सं0 567 रकबा 145.11 बीघा, ख0सं0 563 रकबा 07 बीघा, ख0सं0 563/1 रकबा 07 बीघा, ख0सं0567/3 रकबा 05.15 बीघा, ख0सं0 591 रकबा 171.03 बीघा भूमि में से आदेश में वर्णित हिस्सा भूमि को गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया तथा तहसीलदार ओसियॉ को उसी अनुसार रास्ते की भूमि रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश दिनांक 25.06.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र रास्ता अभियान के अन्तर्गत रास्तों की समस्या के समाधान हेतु आदेश में वर्णित ग्राम शिवनगर के विभिन्न खसरान भूमि में चल रहे रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अंकन किये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार ओसिया से प्रस्ताव आमंत्रित किये। जिस पर तहसीलदार ओसियॉ के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार ओसियॉ की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आदेश में वर्णित निजी खातेदारान की भूमि को गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया तथा तहसीलदार ओसियॉ को उसी अनुसार रास्ते की भूमि रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है।

सं० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

तहसीलदार से रास्ता बाबत प्रस्ताव मंगवाये जाने से पूर्व रेकर्डेड खातेदारान और अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वर्णित खसरान भूमि के खातेदारों को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर नहीं दिया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया और न ही कोई नोटिस जारी किये गये। इसके अतिरिक्त आदेश अनुसार मौके पर सर्वे भी नहीं करवाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 136 का प्रार्थना पत्र सुओमोटो स्वीकार किया है जो विधि अनुरूप नहीं है जबकि धारा 136 में निर्णय लेने से पूर्व सहमति आवश्यक होती है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ के द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश राजस्व शिविर ग्राम सामराउ में बिना कोई सुनवाई अवसर दिये तथा प्रभावित पक्षकारों को इस बारे में कोई जानकारी दिये, सुओमोटो के आदेश पारित किये गये है जो न्याय संगत नहीं होने से काबिल खारिज के हैं।

इसके अतिरिक्त मुझा अपीलान्ट की ओर से पेश इस अपील में मात्र रेस्पो0 संख्या 1 के अलावा अन्य रेस्पोडेन्टस प्रफार्मा पक्षकार के रूप मे संस्थित किये गये है जिनसे किसी प्रकार की इस्तदुआ नहीं चाही गई है अतः इनकी अपील में तामील तरफ फरमाई जावें। अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2018 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 23.09.2020 को पटवारी हल्का से मिली जिसके पश्चात कोविड महामारी के कारण विलम्ब होता रहा। समर्थ होने के उपरान्त उनके द्वारा नकले प्राप्त कर अपील की कार्यवाही की गई है। अतः अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जावें। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे एवं रेवेन्यू रेकर्ड में पुनः दुरूस्ती का आदेश प्रदान करते हुए अपीलान्ट की भूमि में किसी प्रकार का दखल अधिकार नहीं करने हेतु भी निर्देशित किया जावें।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.06.2018 को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते की समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार लोहावट ने उनके अधीन ऐसे कदीमी/चालू रास्तें जो खातेदारी खेतो की भूमि मे से मौके पर चालू है तथा आमजन के उपयोग मे आ रहा है परंतु उनका रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है, ऐसे रास्तो को चिन्हित कर, राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शे मे दर्ज करवाने बाबत जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2018 को पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार ओसियॉ के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आदेश में वर्णित हिस्सा भूमि को गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया तथा तहसीलदार ओसियॉ को उसी अनुसार रास्ते की भूमि रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया है। अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील में अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व नोटिस सूचना एवं सुनवाई का अवसर

राज० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

नहीं दिये जाने बाबत कथन किया है। ऐसे में अपील में प्रकरण को निम्न निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्टस की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारो को नोटिस जारी कर तामिली पश्चात उनकी उपस्थिति मे नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया जावें। वक्त मौका निरीक्षण संबंधित पक्षकारो/हितबद्ध लोगो की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा भी तैयार किया जावे। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय उक्तानुसार तैयार मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तथा अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारो की सुनवाई के पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते को बन्द नहीं किया जावें। निर्णय आज दिनांक 05 अगस्त, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर